



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 582 राँची, बुधवार,

11 सितम्बर, 2024 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

11 सितम्बर, 2024

सं.-ना.वि.-VIII-02/2024/529--

विषय:- राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राप्त दर पर 30 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर, तत्काल एक (01) वर्ष के लिए 2+5 seater Twin Engine Bell-429 Helicopter की सेवा प्राप्त करने के संबंध में।

राज्य के विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के उड़ान भ्रमण कार्यक्रम को संपादित करने हेतु हेलिकॉप्टर की सेवा तत्काल 01 वर्ष हेतु उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके उपरांत आवश्यकतानुसार इसका अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

- उल्लेखनीय है कि राज्य के VVIP के उड़ान हेतु आगामी 01 वर्ष के लिए Wet lease पर Twin Engine हेलिकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था। इसी क्रम में VIP/VVIP हेतु निरन्तर उड़ान सेवा प्रदान करने हेतु अस्थायी तौर पर दिनांक-10.07.2024 से न्यूनतम 02 घंटे प्रतिदिन की उड़ान गारंटी के आधार पर हेलिकॉप्टर Bell-429 की सेवा हेतु निदेशित किया गया है।

इसी क्रम में विभाग द्वारा निविदा का प्रकाशन किया गया। प्रकाशित निविदा के माध्यम से L1 दर पर 2+5 seater Twin Engine Bell-429 **हेलिकॉप्टर की सेवा** 30 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी (Minimum Assured Flying) के आधार पर प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिमाह रु. 1,39,50,000/- (एक करोड़ उनचालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र (GST अतिरिक्त) का व्यय अनुमानित है जो 30 घंटे की उड़ान सेवा के लिए है। 30 घंटे से अधिक के उड़ान की स्थिति में भी समान प्रतिघंटा दर रु. 4,65,000/- मात्र के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

3. इस प्रकार हेलिकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने में 30 घंटे प्रतिमाह के उड़ान के लिए रु. 1,39,50,000/- मात्र (GST अतिरिक्त) का मासिक व्यय अर्थात् रु. 16,74,00,000/- (सोलह करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) मात्र (GST अतिरिक्त) का वार्षिक व्यय अनुमानित है। इस राशि का भुगतान स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2070 के अंतर्गत इकाई-41-मोटर वाहन (विपत्र कोड-08S20700011401000441) में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
4. उल्लेखनीय है कि उक्त व्यवस्था से पूर्व राज्य सरकार द्वारा M/s Heligo Charters Pvt. Ltd., Mumbai से स्थायी तौर पर 05 वर्ष हेतु एक हेलिकॉप्टर Airbus H145 की सेवा मार्च, 2019 से मई, 2024 तक रु. 97,50,000/- मात्र (GST अतिरिक्त) के मासिक व्यय पर प्राप्त की जा रही थी। उक्त दर वर्ष-2018 में निविदा के माध्यम से प्राप्त हुआ था जो लगभग छः वर्ष पुराना है।
5. वर्तमान में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लीज पर उपयोग में लाए जा रहे समान/Multi Engine श्रेणी के हेलिकॉप्टर की सेवा यथा- राजस्थान सरकार द्वारा AW-169 हेलिकॉप्टर की सेवा न्यूनतम 35 घंटे के मासिक उड़ान गारंटी के आधार पर रु. 4,80,000/- मात्र प्रतिघंटे अर्थात् कुल रु. 1,68,00,000/- मात्र (GST अतिरिक्त) के मासिक व्यय के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है तथा बिहार सरकार द्वारा ACH-145 हेलिकॉप्टर की सेवा 30 घंटे न्यूनतम मासिक उड़ान गारंटी हेतु कुल रु. 1,52,54,000/- मात्र (GST अतिरिक्त) के मासिक व्यय के आधार पर प्राप्त की जा रही है। अतएव 30 घंटे के मासिक उड़ान गारंटी हेतु निविदा के माध्यम से प्राप्त मासिक दर रु. 1,39,50,000/- (एक करोड़ उनचालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र (GST अतिरिक्त) स्थानीय बाजार दर के अनुकूल है।
6. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य सरकार के VVIP के उपयोग हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हेलिकॉप्टर की सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2022 में अनुमोदित दर पर न्यूनतम 02 घंटा प्रतिदिन की उड़ान गारंटी के आधार पर दिनांक-10.07.2024 से प्राप्त की जा रही है।
7. वर्णित स्थिति में राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राप्त दर एवं 30 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर, तत्काल एक (01) वर्ष के लिए 2+5 seater Twin Engine Bell-429 Helicopter की सेवा रु. 1,39,50,000/- मात्र (GST अतिरिक्त) के मासिक व्यय अर्थात् रु. 16,74,00,000/- (सोलह करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) मात्र के अनुमानित **वार्षिक** व्यय (GST अतिरिक्त) पर प्राप्त करने साथ ही 30 घंटे से अधिक की उड़ान होने पर रु. 4,65,000/- मात्र (GST अतिरिक्त) प्रतिघंटा का अतिरिक्त व्यय होगा।

8. उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख जापांक-495, दिनांक-29.08.2024 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-06.09.2024 को संपन्न बैठक के मद संख्या-58 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
